न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नंबर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12 / 72 / 2024	2024 / 106	30.10.2024	28.03.2025

01. प्रवर्तन अधिकारी, मुख्यालय अलवर जिला अलवर (राजस्थान) ।

--प्रार्थी

बनाम

01. श्री सन्नी गर्ग पुत्र श्री कैलाश चंद गर्ग, निवासी विमल कॉलोनी, मूंगस्का, अलवर राज०।

--अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 "ए" आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत 03 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात करने बाबत।

उपस्थिति :-

1. प्रवर्तन अधिकारी —विभागीय प्रतिनिधि।
2. श्री रामकिशोर सोनी, श्री गंगाप्रसाद सोनी —वकील अप्रार्थी।

---:: निर्णय ::---

प्रवर्तन अधिकारी मुख्यालय अलवर द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत 03 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र 6 "ए" प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया।

प्रवर्तन अधिकारी मुख्यालय अलवर ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि दिनांक 26.09.2024 को श्रीमान् जिला रसद अधिकारी के निर्देशानुसार मैं विनोद जुनेजा, प्रवर्तन अधिकारी बहमराह श्री रणधीर सिंह, प्रवर्तन अधिकारी एवं श्री अशोक कुमार शर्मा, प्रवर्तन निरीक्षक घरेलू गैस के व्यावसायिक दुरूपयोग की जांच हेतु श्री सन्नी गर्ग पुत्र श्री कैलाश चंद गर्ग, निवासी विमल कॉलोनी, मूंगस्का, अलवर की अग्रवाल जोधपुर स्वीट्स, हनुमान सर्किल अलवर स्थित दुकान पर पहुंचे। मौके पर श्री सन्नी गर्ग पुत्र श्री कैलाश चंद गर्ग, निवासी विमल कॉलोनी, मूंगरका, अलवर उपस्थित मिले। श्री सन्नी गर्ग पुत्र श्री कैलाश चंद गर्ग की दुकान पर 3 घरेलू गैस सिलेण्डर अवैध रूप से संग्रहित मिले। जिसका उपयोग व्यावसायिक कार्य के लिए किया जा रहा था। फर्द अभिग्रहण एवं फर्द सुपुर्दगीनामा पृथक से तैयार किया गया। श्री सन्नी गर्ग पुत्र श्री कैलाश चंद गर्ग द्वारा वक्त जांच घरेलू सिलेण्डर के रखे जाने बाबत कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि श्री सन्नी गर्ग के द्वारा घरेलू सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत जारी द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लंघन है। उक्त आदेश का उल्लंघन होने के कारण उपरोक्तानुसार 3 घरेलू गैस सिलेण्डर को वजह सबूत कब्जेराज लिया गया।

मौके पर उक्त कब्जेराज 3 घरेलू गैस सिलेण्डर को मै० रिद्धि सिद्धि गैस एचपी गैस ग्रामीण वितरक, अलवर के प्रतिनिधि श्री सुरेश चंद पुत्र श्री सोहन पाल को सुपुर्द किया गया। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त 3 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात करने की कृपा करें।

अप्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना–पत्र के समर्थन में जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी से उसके दुकान से दिनांक 26.09.2024 को रसद अधिकारी महोदय, ने 3 खाली सलेण्डर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

जब्त किये है जो गलत आधार पर जब्त किये है। सही तथ्य यह है कि प्रार्थी के घरेलू गैस सलेण्डर नियम अनुसार विभाग से एच पी के सलेण्डर जारी किये हुए है जो सलेण्डर की प्रार्थी के पास एच. पी. कम्पनी की पास बुक्स भी मोजूद है। तथा उक्त सलेण्डर तीन है जो फर्द रिपोर्ट को देखने से साफ होगा का खाली गैस सलेण्डर थे जिनका प्रार्थी कोई व्यवसायिक उपभोग नही कर रहा था। तथा कई फर्द अभिग्रहण व सुपर्दीगीनामा में भी यह स्पष्ट है कि तीनों सिलेण्डर खाली है। जिनमे कोई गैस नही है। प्रार्थी अपने तीनो उक्त सिलेण्डर अपने घर से रिफलींग करवाने हेतु लेकर आया था दुकान पर आवश्यक कार्य होने की वजह से उपरोक्त सिलेण्डर दुकान पर रख लिए जो दुकान के बाहा ही रखे थे प्रार्थी उनका कोई उपभोग नही कर रहा था। रसद अधिकारी महोदय ने फर्द निरक्षण में गलत तथ्य दर्ज करके उपरोक्त तीनों सिलेण्डर जब्त किये है। प्रार्थी को उपरोक्त सिलेण्डरों की घरेलू उपयोग हेतु आवश्यकता रहती हैं। इनके बिना प्रार्थी को काफी परेशानी का सामना करना पड रहा है । प्रार्थी वक्त बहस अपने दस्तावेज सबूत पेश कर देगा। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी को उक्त कार्यवाही से मुक्त फरमाया जाकर नम्र रूख अपनाया जाकर प्रार्थी के तीनों सिलेण्डर प्रार्थी को सुपुर्द करवाने के आदेश सादिर फरमाये।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी एवं अप्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत जवाब का मनन किया। प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी मुख्यालय अलवर के अनुसार वक्त जांच मौके पर श्री सन्नी गर्ग पुत्र श्री कैलाश चंद गर्ग की दुकान पर 03 घरेलू गैस सिलेण्डर अवैध रूप से संग्रहित मिले। जिनका व्यावसायिक दुरूपयोग किया जाना पाया गया। श्री सन्नी गर्ग पुत्र श्री कैलाश चंद गर्ग द्वारा वक्त जांच घरेलू एवं व्यावसायिक गैस सिलेण्डर के रखे जाने बाबत कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि श्री सन्नी गर्ग पुत्र श्री कैलाश चंद गर्ग के द्वारा घरेलू सिलेण्डर व्यावसायिक कार्य के लिए उपयोग किया जा रहा था, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत जारी द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लंघन है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र 6–ए स्वीकार किया जाता है, जप्तशुदा 03 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पारित आदेश की प्रमाणित प्रति जिला रसद अधिकारी अलवर को भिजवायी जाकर निर्देशित किया जाता है कि जप्तशुदा 03 घरेलू गैस सिलेण्डर को सुपुर्दगार से नियमानुसार प्राप्त किया जाकर विधिवत कार्यवाही कर राजसात किया जाकर निस्तारण की कार्यवाही करें। उक्त निर्णय आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अध्याधीन रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 28.03.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)